



~~XXXX~~(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक आर.564-दो/05

जिला-भिण्ड

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आ के हस्ताक्षर |
|------------------|--|--|
| 21-7-15 | <p>इस प्रकरण में कई बार सूचना देने के बाद भी आवेदक की ओर से कोई उप. नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रूचि नहीं है ।</p> <p>प्रकरण आदेशार्थ ।</p> |  सदस्य |
| 4-8-15 | <p>प्रकरण का अवलोकन किया । विचारोपरान्त प्रकरण आवेदक की रूचि के अभाव में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p> |  सदस्य |



C.F-1516/12

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/05 पुनरीक्षण

श्रीमती रामबेटी पत्नी स्व. श्री रामलखन, आयु-80 वर्ष,
निवासी- ग्राम नरीपुरा, वर्तमान निवासी- ग्राम गुसीग,
थाना ऊमरी, जिला भिण्ड

---आवेदिका/पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. हरीकिशन पुत्र स्व. श्री रामनारायण, आयु-75 वर्ष,
2. राधेश्याम पुत्र स्व. श्री रामनारायण, आयु-70 वर्ष,
3. सुभाष, आयु-35 वर्ष
4. रामदुलारे, आयु-33 वर्ष
5. अशोक कुमार, आयु-32 वर्ष
6. गजा, आयु-22 वर्ष
7. विनोद, आयु-18 वर्ष
- 3 लगायत 7 पुत्रगण स्व.श्री रामदास पुत्र स्व.श्री रामनारायण
8. विश्वनाथ पुत्र स्व. श्री रामनारायण, आयु-65 वर्ष
9. कु. संपत्ति, आयु-20 वर्ष
10. कु. माया, आयु-18 वर्ष
- पुत्रियाँ स्व. श्री शिवनारायण पुत्र स्व. श्री रामनारायण
11. रामशंकर पुत्र स्व. श्री रामनारायण, आयु-55 वर्ष
समस्त निवासीगण ग्राम नरीपुरा, तेहसील अटेर, जिला
भिण्ड (म.प्र.)
12. म.प्र. शासन द्वारा जिलाधीश, भिण्ड (म.प्र.)

---अनावेदक/प्रत्यर्थागण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32, म.प्र. भू राजस्व संहिता,
1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 28.01.2005 पारित द्वारा न्यायालय अपर
आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना क्रमांक 2/94-95/अपील

माननीय न्यायालय,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

K S 64.71/05

वी. सुकेता देवी स्व. श्री रामलखन
द्वारा आज दि. 26/4/05 को म.प्र. प्र.

(अवर सचिव
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर)

26 APR 2005

For the
Advocate
General